राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

क्रमांकः एफ.1(ए)(12)आर.बी./2020/५५१8 **दिनांकः 7 दिसम्बर, 2020**

कार्यवाही विवरण

माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में ''कुलपति संवाद'' की बैठक दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2020 को ''वीडियो कान्फ्रेंसिंग'' द्वारा राज्य के समस्त 26 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों के साथ आयोजित की गई।

कुलपति संवाद को तीन समूहों में विभाजित कर निम्नानुसार चर्चा की गई–

1. कुलपति–सामान्य विश्वविद्यालय 21.10.2020 (अनुलग्नक–1)
2. कुलपति–कृषि एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 22.10.2020 (अनुलग्नक–2)
3. कुलपति–तकनीकी, स्वास्थ्य, संस्कृत, आयुर्वेद, पुलिस, विधि एवं स्किल विश्वविद्यालय 23.10.2020 (अनुलग्नक–3)

सचिव राज्यपाल ने समस्त कुलपतियों का स्वागत किया एवं बैठक की संरचना से सभी सदस्यों को अवगत कराया। बैठक के आरम्भ में माननीय कुलाधिपति महोदय ने सदस्यों को संबोधित किया।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपति संवाद के दौरान कुलपतिगण द्वारा निम्नांकित विषयों पर विस्तार से विचार जानने चाहे –

- राज्य में शिक्षा नीति, 2020 को लागू करने के लिए क्या प्रारंभिक कदम उठाये जाने चाहिए।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 30.09.2020 को केन्द्रीय गृह विभाग द्वारा जारी अनलॉक गाईडलाईन के क्रियान्वयन पर चर्चा।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा तीन दिवसीय चर्चा में उद्‌बोधन के दौरान निम्नलिखित दिशा निर्देश/सुझाव प्रदान किये गये–

- स्टार्ट अप इनक्यूबेशन केन्द्र, तकनीकी विकास केन्द्र, अग्रणी शोध केन्द्र आदि की स्थापना अथवा उच्च शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय स्वयं निर्णय लेकर शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर सकते हैं।
- सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी आर्थिक सुदृढ़ता बनाये रखने के लिए वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा, जिससे विश्वविद्यालय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
- विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिन्दुओं को क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनानी होगी, इनमें से कुछ बिन्दु जैसे– ''एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'', ''मल्टीपल एन्ट्री व एग्ज़िट पॉइन्ट्स'' के अनुरूप पाठ्यक्रम, अकादमिक कैलेण्डर में बदलाव लाकर एकरूपता लानी होगी, साथ ही पाठ्यक्रम में सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा एवं डिग्री दिये जाने की योजना के तहत बदलाव किये जाने होंगे।
- कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भौगोलिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम को नियमित पाठ्यक्रमों में जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि कृषि विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 3000 से अधिक रह सके, ऐसा नई शिक्षा नीति के अनुसरण में करना अनिवार्य होगा ताकि विश्वविद्यालयों का अस्तित्व बना रहे।
- कृषि विश्वविद्यालय नीति में उल्लेखित ऐसे विषयों पर जिन्हें राज्य सरकार के संज्ञान में लाकर निर्णय करवाया जाना है अथवा दिशा निर्देश प्रदान कराये जाने हैं, को राजभवन के ध्यान में लायें, जिससे सक्षम स्तर पर समुचित कार्यवाही की जा सके।

- प्रत्येक विश्वविद्यालय को परिस्थिति, शैक्षणिक वातावरण, एवं विश्वविद्यालय से संबंधित शीर्ष निकाय जैसे ICAR, AICTE, VCI, Medical Council आदि द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में ऐसे बिन्दु चिन्हित करने होंगे जिनका चरणबद्ध क्रियान्वयन किये जाने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभावी तौर पर लागू की जा सकेगी, साथ ही जब तक प्रस्तावित बदलाव का शीर्ष निकाय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होता है तब तक विश्वविद्यालय के स्तर पर प्रस्तावित बदलावों को विधिक रूप से मान्य करायें जाने हेतु रणनीति बनानी होगी। अतः इस प्रकार की तैयारी की जा सकती है ताकि दिशा निर्देश प्राप्त होते ही उन पर क्रियान्वयन किया जा सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों को बहुत गंभीरता से प्रत्येक चरण की बारीकियों को समझ कर Vision Document बनाकर क्रियान्वयन करना होगा, अपने स्तर पर किये जाने वाले कार्यो के लिए विश्वविद्यालय समय सीमा के भीतर ब्लू प्रिन्ट बनाये और उसके अनुरूप ही क्रमबद्धता से कार्य करे।
- विशिष्ठ योजनाओं/ कार्यक्रमों जैसे "सौर ऊर्जा प्लांट" की स्थापना, "रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर" का निर्माण, "पाठ्यक्रम अद्यतन", "चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम", "ऑन स्क्रीन मार्किंग" आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, IUMS, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU), संविधान पार्क, विश्वविद्यालय पार्क, विशिष्ट नवाचार, विश्वविद्यालयों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व, विश्वविद्यालयों में "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना इत्यादि बिन्दुओं पर विश्वविद्यालयों द्वारा समीक्षा की जाकर इन सभी की क्रियान्विति सुनिश्चित की जाये।

सचिव राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिन्दुओं को साझा करते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में गठित "टास्क फोर्स" द्वारा की गई बैठकों का ब्यौरा दिया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान सचिव राज्यपाल द्वारा जानकारी दी गई कि–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही दिनांक 20.08.2020 को माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा गठित "टास्क फोर्स" द्वारा बैठक आयोजित कर प्रत्येक

विश्वविद्यालय को "माईक्रो टास्क फोर्स" गठित कर "Brain Storming Session" किये जाने के दिशा निर्देश प्रदान किये।

- दिनांक 06.10.2020 को माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में "टास्क फोर्स" द्वारा बैठक आयोजित कर समस्त विश्वविद्यालयों से NEP के क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक बिन्दुओं पर अनुशंसाएं आमंत्रित की गई।
- प्राप्त अनुशंसाओं पर दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2020 को राज्य के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को तीन समूहों में बाट कर विषय पर विस्तृत चर्चा की गई।

सचिव महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों द्वारा Resource Generation Mapping पर विशेष जोर देते हुए विश्वविद्यालयों को अपने आर्थिक विकल्पों को ढूंढने, Self Financing एवं Vocational Courses चलाने का सुझाव दिया जिससे नीति के अनुरूप आने वाले वर्षों में आर्थिक रूप से विश्वविद्यालय स्वावलंबी हो सके।

प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिन्दु, उसके क्रियान्वयन एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कार्यों के बारे में कुलाधिपति महोदय से विस्तृत चर्चा की गई–

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत एग्जिट नीति के अनुरूप Board of Studies को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों में संशोधन हेतु बैठक बुलानी होगी।
- स्थानीय आवश्यकता एवं Artificial Intelligence आदि को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करना होगा।
- अंतःविषयक और बहु–विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम जोड़ने होंगे।
- मूल्य और नैतिकता आधारित पाठ्यक्रम शुरू किये जाने होंगे।

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

विश्वविद्यालय द्वारा निम्नांकित कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चरणबद्ध क्रियान्वयन हेतु लिये जाने प्रस्तावित है–

- प्रत्येक कक्षा में आधुनिकतम तकनीक के द्वारा शिक्षण।
- स्टार्ट–अप इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना।
- नए कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करना।
- सतत् और व्यापक मूल्यांकन।
- संकायों की भर्ती, मानव संसाधन विकास केन्द्र के माध्यम से कॉलेजों का संचालन।

निम्नलिखित सुझाव राज्य स्तर पर लागू किये जाने प्रस्तावित है–

- राज्य उच्च शिक्षा नियामक परिषद (SHERC) की स्थापना।
- राज्य अनुसंधान संस्थान समिति (SRFB) की स्थापना।
- उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना।
- उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम नियामक परिषद (स्नातक, ऑनलाइन सामग्री की तैयारी, आदि में सामान्य पाठ्यक्रम के लिए) की स्थापना।
- राज्य संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (कॉलेजों/स्कूलों के लिए)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

- वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा बहु–विषयक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।
- यदि नियामक संस्था (जैसे पीसीआई आदि) के पास क्रेडिट सिस्टम के लिए कोई तंत्र है, तो विश्वविद्यालय इसे लागू करने के लिए इच्छुक है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग और वास्तुकला संकाय, दृश्य कला संकाय, प्रशासनिक और कॉरपोरेट प्रशिक्षण केंद्र, वाणिज्य उत्कृष्टता केंद्र, मानव

संसाधन विकास केन्द्र, नवाचार और ऊष्मायन केन्द्र विश्वविद्यालय में चलाये जा रहे हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां स्थापित की जाएंगी।
- संस्थापक साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च–गुणवत्ता वाले संसाधनों का National Repository विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम चरण में लिये जाने वाले मुख्य कदम

- स्नातक पाठ्यक्रम को नया स्वरूप देना ताकि विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके इसमें चॉइस–आधारित क्रेडिट सिस्टम (CBCS) को संशोधित/ लागू किया जाना शामिल होगा।
- मल्टीपल एन्ट्री एवं एग्जिट के साथ लचीला बहु–विषयक पाठ्यक्रम लागू किया जाना।
- संबद्ध महाविद्यालयों को खत्म करने की नीति के अनुरूप नई संबद्धता को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना।
- ई–सामग्री का विकास किया जाना।
- 2035 तक 50% GER (Gross Enrolment Ratio) सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट पर आधारित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाना।
- संख्यात्मक परीक्षण से कौशल आधारित परीक्षण पर बदलाव।
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

- विश्वविद्यालय स्तर पर क्रेडिट बैंक का निर्माण।

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं मुक्त शैक्षणिक संसाधनों से संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पर नीति निर्धारण (यू.जी.सी., ओ.डी.एल. एवं ऑनलाइन रेगुलेशन 2020 के अनुरूप)।
- कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के विकास से संबंधित कार्य।
- विशेष शिक्षा क्षेत्रों की पहचान करने संबंधित प्रक्रिया जनगणना के आंकड़ो एवं उसमें दिए गए प्रासंगिक सूचकों के अनुसार प्रस्ताव बनाया जाना।

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

- विषय विशेषज्ञों की समिति बनाकर वर्तमान अधिनियमों में संशोधन कर समान अधिनियम एवं कानून बनाया जाना।
- संचालन समिति का गठन– GER को बढ़ावा देने, व्यावसायिक शिक्षण संस्थान, सहायता विभाग एवं मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी विकसित करने हेतु दूरस्थ शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु Recourse Generation Mapping के अन्तर्गत कम्प्यूटर टेस्टिंग केन्द्र खोलने, FM चैनल एवं ODL Courses चालू किये जाने प्रस्तावित हैं।
- विश्वविद्यालय के अधिनियम में Guest Faculty रखे जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है साथ ही नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु Director Research एवं Director College Development के पदों को सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय द्वारा जनजाति, कला एवं संस्कृति, स्नातकोत्तर डिप्लोमा लोक–गीत, एवं लोक–संगीत, सनातन वेद–विज्ञान, स्नातकोत्तर डिप्लोमा टेक्सटाईल केमेस्ट्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पर्यटन प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हो सकेंगे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विशविद्यालय द्वारा निम्नानुसार अनुशंसाएं प्रस्तावित की गई है–

- विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों में उद्यमकर्ता के गुण विकसित करने के लिए स्टार्ट अप, इनक्यूबेशन सेन्टर, तकनीकी विकास केन्द्र एवं शोध केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- रिसोर्स जनरेशन के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा, स्पोर्टस योगा व नेच्यूरोपेथी, यात्रा एवं पर्यटन विकास से जुड़े हुए आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यवस्था का अध्ययन कर विद्यार्थी रोजगार के क्षेत्र विकसित कर सकते हैं।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में भाषा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा।
- नीति के समुचित निर्वहन हेतु विशेष प्रयास किये जाने होंगे।
- विश्वविद्यालयों में बिना Ph.D. हुए विद्यार्थियों को नीति के तहत प्रोत्साहित किये जाने से पत्रकारिता एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बढ़ावा मिलेगा।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बौद्धिक सम्पदा अधिकार का विनियमन, मूल्यांकन एवं व्यावसायिकरण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।
- वर्तमान पाठ्यक्रम को नीति के अनुरूप लचीला बनाया जायेगा।
- वर्तमान में स्थापित कौशल विकास केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा।

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में एग्जिट पॉलिसी लागू किये जाने हेतु कमेटी का गठन।
- छात्रों की रोजगार एवं सर्वांगीण विकास योजना।
- विश्वविद्यालयों द्वारा समयबद्ध योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन करना।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा।
- प्राध्यापकों के अकादमिक प्रशिक्षण एवं शोध कार्य पर विशेष ध्यान।

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

विश्वविद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु–

- व्यावसायिक / प्रमाण पत्र / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
- स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम को इस तरह से संशोधित किया जाये कि छात्र को डिग्री कार्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि से पहले संस्थान से बाहर जाने पर कम से कम प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्राप्त हो सके।
- व्यावसायिक कार्यक्रम के साथ व्यावसायिक मॉड्यूल का एकीकरण।
- कौशल विकास, स्व–रोजगार, उद्यमिता विकास और अन्य की ओर डिग्री कार्यक्रम को पुनः संचालित करने के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना आवश्यक है ताकि स्नातक छात्र पेशेवर के रूप में सार्वजनिक अभ्यास के आधार पर अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।
- कृषि विश्वविद्यालयों की प्रवेश प्रणाली में बदलाव किया जाना।

स्वामी केशवानन्द आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बीकानेर

- विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास निदेशालय के माध्यम से किसानों/छात्रों को लाभान्वित करने के लिए अल्पकालिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (15 दिन, एक माह, दो माह, तीन माह तथा छह माह) शुरू करने की योजना बनाई है।
- स्टार्टअप उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- नवोदित उद्यमियों के लिए कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान (IABM) में इनक्यूबेशन सेंटर (Incubation Centre) स्थापित किया जाना है।
- विश्वविद्यालय द्वारा मल्टीपल एन्ट्री एवं एग्जिट प्रस्ताव को अकादमिक परिषद् में पारित करने के बाद प्रबंध मण्डल की बैठक में अनुमोदन कर इसे लागू किया जाएगा।

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के तीन घटक, कृषि महाविद्यालय, कृषि प्रौद्योगिकी और कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर कॉलेज स्नातक कार्यक्रमों में बहुविषयक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
- पाठ्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया जाये जिससे छात्र मुख्य धारा के साथ–साथ किसी भी विषय से अन्य विषयों का चयन कर सके।
- नीति के अनुसार, तकनीकी सहायता उन छात्रों को दी जाएगी जो या तो पिछड़े क्षेत्रों या विशेष समुदाय श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।
- अन्य संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट के विषय में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है तथा किसी विशेष डिग्री देने के लिए क्रेडिट बैंक का कितना प्रतिशत आवश्यक होगा।
- प्रस्तावित है कि राजस्थान के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति आम मानदंडों को तय करने के लिए एक बैठक आयोजित करे, जो निजी के साथ–साथ सार्वजनिक संस्थानों के लिए भी प्रभावी होगी।

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

- विश्वविद्यालय की प्राथमिकता ऐसे सैंडविच मॉडल पाठ्यक्रम विकसित करने की रहेगी जो भारत और विदेश दोनों में अध्ययन कार्यक्रम संश्लेषित कर सकता हो।
- एलोपैथिक पशु चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को आयुर्वेद, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर चिकित्सा की बुनियादी समझ होनी चाहिए।
- पशुधन प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को बहु–विषयक विश्वविद्यालय में बदलना होगा जहां छात्र उद्यमी, पशुधन और किसान कल्याण एवं समाज के लिए वैश्विक तकनीक को स्थानीय स्तर पर लागू कर पाये।

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

- अनुसंधान प्रवीणता हेतु ट्राइमेस्टर (Trimester) प्रणाली लागू करना उचित होगा।
- वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के समस्त कार्यक्रम चार–वर्षीय हैं, जिनमें नवीन शिक्षा नीति अनुसार फेर–बदल की आवश्यकता होगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर उचित संग्रहणालय (Repository) के साथ स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) बनाये जाने हेतु शिक्षा नीति में उद्धरित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद् (National Higher Education Regulatory Council) के साथ व्यापक विचार विमर्श कर निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में समुदाय विज्ञान, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन तथा खाद्य पोषण तथा आहारिकी जैसे पाठ्यक्रमों पर बल दिया जायेगा।
- शिक्षण में CPT (Course Practical Training) व OPT (Optional Practical Training) जैसे नवाचार लागू करने होंगे।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 अनुसार कृषि विश्वविद्यालय में तकनीकी उद्यान (Technology Park) को और अधिक विकसित एवं सुदृढ़ किया जायेगा।
- नई शिक्षा नीति के अनुसार 79 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से कुछ पाठ्यक्रम (जलग्रहण प्रबंधन) का संचालन सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

विश्वविद्यालय की प्राथमिकताएं रहेंगी–

- ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा (ODL) की सुविधा के लिए वर्चुअल कक्षाओं में स्मार्ट कक्षाओं का उन्नयन।
- विविध समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा स्टार्ट–अप/ ऊष्मायन केन्द्र का आधुनिकीकरण।
- शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए छात्र परामर्श केंद्र की स्थापना।
- ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए विभिन्न स्तरों और पदों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- संकाय के उन्नयन के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
- छात्रों के सकल नामांकन में 10 प्रतिशत की वृद्धि।
- आय बढ़ाने के लिए कम से कम 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करना।
- संसाधन सृजन।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

- पाठ्यक्रम में केन्द्र सरकार के स्तर पर स्थापित उच्च परिषदें जैसे एम.सी.आई (एन. एम.सी), पी.सी.आई, डी.सी.आई. के नियम लागू होते हैं। उच्च परिषदों के

नियमानुसार चिकित्सा शिक्षा में अध्ययन कार्य किया जाता है। उच्च परिषदों के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नेशनल एवं इन्टरनेशनल स्तर पर स्वीकार्य हैं।

- विश्वविद्यालय द्वारा अधिक से अधिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आंमत्रित किया जाकर रिसर्च को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- अपने संघटक महाविद्यालय के विभिन्न विभाग संबंधित उच्च परिषद/कमीशन के नियमों के अनुसार समय–समय पर अपग्रेड किये जाते हैं।
- भविष्य में चरणबद्ध तरीके से क्लीनिकल विभागों में भी पी.जी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे एवं इन्हें संबंधित उच्च परिषद/ कमीशन के नियमानुसार क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय द्वारा स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- वित्तीय स्वावलम्बन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अपने शुल्क संरचना को संशोधित किया जाता है।
- संघटक महाविद्यालय की स्थापना की जावेगी एवं इनमें स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे ताकि विश्वविद्यालय एवं इसके संघटक महाविद्यालयों में वित्तीय स्वावलम्बन की स्थिति बनी रहे।
- अन्य संकायों में भी इस प्रकार के ट्रेनिंग हेतु विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे।
- NAAC Accreditation एवं NIRF Ranking की कार्यवाही प्रभावी तरीके के सम्पादित की जायेगी।
- Community Medicine के अन्तर्गत Research Methodology में Bio-statistics एवं Research Methodology के विषय पढ़ाये जाकर शोध को बढ़ावा दिया जायेगा।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर

एवं

राजस्थान आई.एल.डी. स्किल विश्वविद्यालय, जयपुर

- विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप यह प्रयास किया गया है कि पाठ्यक्रमों में पारस्परिकता हो।
- प्रस्तावित बहु–विषयक प्रणाली के अन्तर्गत पॉच विषयों को स्नातक स्तर पर चलाया जा रहा है।
- नई शिक्षा नीति में Ph.D एवं M.Phil की अनिवार्यता हटाये जाने से ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षण का लाभ प्राप्त होगा जिन्हें उद्योगों में भी कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा, इस प्रकार Industry-Academia के सम्मिश्रण का लाभ छात्र उठा सकेंगे।
- पत्रकारिता और जन संचार से जुड़े सभी पाठ्यक्रमों को कौशल विकास से आवश्यक रूप से जोड़ा जाना प्रस्तावित है जिससे विद्यार्थियों को मीडिया संस्थानों में अपना स्थान बनाने में सहजता रहे।
- राजस्थान आई.एल.डी कौशल विश्वविद्यालय में प्रारम्भ से ही ऐसा पाठ्यक्रम रहा है जिसमें लचीलापन है एवं एक से अधिक बार प्रवेश व निकास के प्रावधान है। लगभग 300 विभिन्न सामान्य पाठ्यक्रम भी कौशल शिक्षा के साथ जाड़े गये हैं।

बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य योजना बना कर राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य बिन्दु–

- बहु–विषयक स्नातक शिक्षा।
- पाठ्यक्रय पुनः संरचना एवं मूल्यांकन।
- स्नातक स्तर पर Multiple Entry and Exit.
- अन्तर–विषयक, पार–विषयक और सामाजिक समस्याओं पर आधारित अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना।
- दोहरी डिग्री कार्यक्रम की शुरूआत।
- विश्वविद्यालय द्वारा आगामी एक माह में Hackathon का आयोजन, ऑरियेन्टेशन कार्यक्रम, संबद्ध महाविद्यालयों की Grading, Research Hub का निर्माण एवं प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय में Centre of Excellence की स्थापना का कार्य किया जाना प्रस्तावित हैं।

जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर

- प्रत्येक विश्वविद्यालय में समान पाठ्यक्रम तैयार करना तथा पाठ्य विषय की गुणवत्ता, रोजगारोन्मुखी, व्यावसायिक एवं व्यक्तित्व निर्माणपरक अन्तर–विषयक एवं बहु–विषयक पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु उच्च शैक्षणिक सदस्यों की समिति का गठन कर उनके माध्यम से क्रियान्वयन करना।
- दूरस्थ शिक्षा ODL (Open Distance Learning) पर फोकस किया जाना।
- समस्त स्तरों पर शिक्षण प्रशिक्षण एवं शोध कार्य हेतु आरक्षण एवं छात्रवृति की समुचित व्यवस्था करना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं कमजोर तबकों के लिए प्रवेश एवं सेवा में स्पष्ट आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाकर उसे समाज में क्रमोन्नत करना।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

- प्रत्येक विश्वविद्यालय में बहु–विशेषज्ञता समन्वय केन्द्र की स्थापना करना।
- वर्चुअल रियलिटी पर आधारित लैब्स को स्थापित करना, जिससे क्लास रूम प्रेक्टिकल्स के साथ ऑनलाइन प्रेक्टिकल्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- अध्यापकों को उनके चयनित कुछ Speciality विषयों पर उनके स्वरोन्नयन हेतु सतत् प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाये।
- तकनीकी पाठ्यक्रमों की केन्द्रीय नियन्त्रणकर्ता परिषद् द्वारा वर्तमान में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नवीन शिक्षा नीति के अनुसार परिवर्तन।
- प्रदेश के समस्त तकनीकी विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय हेतु Intra University Consortium की स्थापना, जिससे विश्वविद्यालय एक दूसरे की विशेषज्ञता एवं प्रयोगशालाओं आदि का उपयोग कर सके।
- विश्वविद्यालय की स्वयं की आय बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनना, जिससे नई शिक्षा नीति के लागू करने हेतु स्वयं के स्त्रोतों से वाछित धनराशि की अधिकतम पूर्ति की जा सके।
- विश्वविद्यालय द्वारा आयुर्वेद एवं ऐलौथिक उपचार प्रणालियों को एकीकृत कर नई उपचार प्रणाली विकसित की जानी प्रस्तावित है।

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

- विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के लिए Sensitization कार्यक्रम चला कर न सिर्फ उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अवगत कराया जायेगा बल्कि विद्यार्थियों के सुझाव भी प्राप्त किये जायेंगे।
- Multiple Entry and Exit के विषय पर पुलिस विश्वविद्यालय जैसी Specialized University को उच्च स्तर पर समन्वय कर नीति लागू करनी होगी।

- सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न केन्द्रों एवं कार्यक्रमों का समन्वय राजस्थान के अन्य बड़े विश्वविद्यालयों के साथ किया जाना प्रस्तावित है।
- विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में लघु अवधि एवं दीर्घावधि लक्ष्य के आधार पर तैयार की गई कार्ययोजना को एक माह में तैयार कर कुलाधिपति महोदय को प्रेषित की जायेगी।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में कुछ Structural Changes आवश्यक है जो कि राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है।
- राष्ट्रीय स्तर पर UGC की कुछ शीर्ष समिति जैसे Consortium of Education Communication, IGNOU, National Level Institutes for Research इत्यादि विश्वविद्यालयों के लिए Academic Resource के तौर पर कार्य कर सकते हैं, तथा विश्वविद्यालय सीधे ही इन समितियों से Enrich हो सकते हैं।
- राज्यपाल सचिवालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा MHRD को Technological Role को पुनः परिभाषित एवं विनियमित करने एवं ऑनलाइन व ऑफलाइन Mode of Teaching को Policy के रूप में मान्यता दिये जाने की अनुशंसा की जानी चाहिए।
- विधि विश्वविद्यालय के स्तर पर विषय एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में विजन ग्रुप का निर्माण किया गया है जो कि Guiding Principle के रूप में कार्य करेगा जिससे अल्पावधि, मध्य अवधि एवं दीर्घावधि लक्ष्य निर्धारित होंगे तथा समाज से विश्वविद्यालय का, समाज से समाज का एवं समाज से Bar Council की Linkages स्थापित होंगी।

प्रो. ए. के. गहलोत, सदस्य, राज्यपाल सलाहकार समिति, राजभवन

- विश्वविद्यालय आय सृजन के अन्य विकल्पों की खोज करें।
- नियमित डिग्री कार्यक्रमों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- विश्वविद्यालय अतिरिक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करे।
- एफिलिएटेड महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम अनिवार्य किये जा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, विश्वविद्यालय को इन संबद्ध महाविद्यालयों के लिए एक Mentor के रूप में कार्य करना होगा।
- विधि एवं चिकित्सा को सामान्य नियामक तंत्र से बाहर रखा गया है, परन्तु वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बाहर नहीं है।
- सभी कुलपतियों द्वारा कार्य योजना कम से कम 2035 तक बनाई जानी चाहिए। जिन विश्वविद्यालयों द्वारा NEP के तहत कार्य शुरू किया जा चुका है उन्हे अधिक अनुदान प्राप्ति के अवसर प्रदान होंगे।
- नये और विकासशील विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम, विभाग, महाविद्यालय एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा।
- UGC सचिव द्वारा पत्रांक दिनांक 20.10.2020 के अनुसरण में–
  - शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कार्यान्वयन की योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसका नेतृत्व विभिन्न निकायों द्वारा विश्वविद्यालयों सहित किया जाना है।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्चतर शिक्षण संस्थान यथा तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं विश्वविद्यालयों के विभिन्न लक्ष्यों को केन्द्रित कर शासन सुधार की परिकल्पना करती है।

- माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में SUMS/ IUMS के माध्यम से ई–गवर्नेंस, डेटा प्रबंधन और स्वचालन के लिए निर्देशित किया जाता रहा है जिसका उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु संख्या 18.3 परिलक्षित हुआ है।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपति संवाद के अंत में दिये गये सुझाव/दिशा निर्देश–

- तकनीकी विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से Skill Mapping करे एवं Skill Mapping के आधार पर किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाये, जिससे विद्यार्थियों को Business Training/ Hands on Training/ Skill Training दी जा सके तथा विद्यार्थियों को लगे की हम शिक्षा ग्रहण करके उसके आधार पर व्यवसाय कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक एवं विद्यार्थियों को सुदृढ़ करे।
- विश्वविद्यालयों का वातावरण नैतिकता युक्त बनाये जाने की जिम्मेदारी कुलपतिगणों की है, वह सभी को साथ लेकर चलें एवं प्रभावी रूप से नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करें।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्किल विश्वविद्यालय को महत्व दिया जाना अत्यंत आवश्यक है जिसके तहत विश्वविद्यालय के एक्ट को संशोधित किया जाना चाहिए तथा राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से जोड़ा जाना चाहिए।
- संस्कृत विश्वविद्यालय में अधिक से अधिक छात्र–प्रवेश को बढ़ाया जाये एवं Resource Generation किया जाये, इस हेतु कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर को चिन्तन कर कार्य योजना बनानी होगी।
- राज्यपाल सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में किये जाने वाले कार्यो की Check list प्रत्येक राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय के कुलपतियों को प्रेषित की जाये जिससे नीति का क्रियान्वयन वरीयता अनुसार चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित समयावधि में पूर्ण हो सके।

- कुलपति संवाद की अगली बैठक में सभी कुलपति विश्वविद्यालय स्तर पर Resource Generation कर, किस प्रकार विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं स्वावलम्बी बना पायेंगे एवं नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, इन विषयों पर विस्तृत चर्चा की जायेगी।

(सुबीर कुमार)
सचिव, राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांकः एफ.1(ए)(12)आर.बी./2020/4419 **दिनांकः–** 7 **दिसम्बर, 2020**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
2. प्रो. ए. के. गहलोत, सदस्य राज्यपाल सलाहकार मण्डल, राजभवन, जयपुर।
3. समस्त कुलपतिगण, वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
4. विशेषाधिकारी –द्वितीय (उच्च शिक्षा), राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी –प्रथम
(उच्च शिक्षा),

अनुलग्नक–1

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
3.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर
4.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
5.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर
6.	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा
7.	महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
8.	राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
9.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
10.	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर
11.	गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा

अनुलग्नक–2

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर
2.	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
3.	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
4.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
5.	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
6.	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

अनुलग्नक–3

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर
3.	बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर
4.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
5.	जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर
6.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
7.	सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर
8.	डॉ. भीम राव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर
9.	राजस्थान आई.एल.डी. स्किल विश्वविद्यालय, जयपुर